Civil Procedure, 1908 and in the Code of Criminal Procedure, 1973, to rule 11 of the CCS (Conduct) Rules, 1964 and the Manual of Departmental Security Instructions relating to classification of information. The Report has been forwarded to the various Central Ministries/Departments and the State Governments/Union Territories administrations seeking their views/ comments on the recommendations made by the Working Group. The Ministries/ Departments administering the aforesaid Acts and other provisions have been separately requested to initiate action in respect of these recommendations.

केन्द्रीय जांच ब्यूरो का गोवा में अपनी गातिविधियों को रोक देने का आदेश

1042. **श्री सूर्यभान पाटीन वहाणें** :
श्री अमर सिंह :
श्री जॉन एफ. फर्नांडिस :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोवा सरकार द्वारा केन्द्रीय जांच ब्यूरो को राज्य में अपनी गतिविधियों नहीं चलाने के लिए कहा गया है, यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है,

(ख) इसके क्या कारण है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है,

(ग) क्या ब्यूरो को किसी राज्य में अपनी गतिविधियों चलाने के लिए संबधित राज्य सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है,

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी राज्य में वहां की सरकार की अनुमति के बगैर भी केन्द्रीय सूची से संबधित अपराधों की जांच केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जारी रखने हेतु उसे शक्ति प्रदान करने हेतु यदि कोई योजना बनाई जा रही है, तो उसका ब्यौरा क्या है, और

(ड़) यदि नही, तो सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाएंगे ताकि जांच एजेंसियां निर्भीक रूप से मामलों की जांच कर सके ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयन्ती नटराजन) : (क) जी, नही । केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को गोवा सरकार से ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर, प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरों को किसी राज्य की क्षेत्राधिकारिता में आने वाले मामलों की जांच करने के लिए उस राज्य सरकार की अनुमति प्राप्त करनी होती है ।

(घ) तथा (ड.) संविधान के उपबंधों के अनुसार, पुलिस राज्य का विषय है । केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, किसी राज्य के अंतर्गत, राज्य-पुलिस-एजेंसी की भांति, उसे मिली शक्तियों से जांच करता है । यहां तक कि संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-1 में उल्लिखित मदों से संबधित अपरोधों के संबध में भी केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांच आरम्भ किए जाने से पहले, उसके द्वारा संबधित राज्य सरकार की सहमति ली जानी आवश्यक होती है । यह मामला राज्य सरकारों के साथ भी उठाया गया और वे केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को अपनी सहमति के बिना जांच करने देने की इच्छुक नहीं है । इस संबंध में जब तक वे सहमत नहीं हो जाती और आम सहमति नहीं बन जाती,तब तक केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को राज्य सरकार की अनुमति के बिना जांच करने देने के सिलसिले में संविधान में अनुवर्ती संशोधन करना संभव नहीं हैं ।

कच्छ में उद्योग व्यापार घाटा

1043. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ला :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कच्छ में उद्योग व्यापार घाटे में तीव्र वृद्धि हो रही है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है,

(ग) जनवरी, 1997 से अब तक राज्य के उद्योग व्यापार घाटे में वृद्धि का प्रतिशत क्या हो रहा है,

(घ) क्या सरकार ने व्यापार घाटे में हुई उल्लेखनीय वृद्धि के प्रमुख कारणों का पता लगाया है,

(ड.) सरकार का, राज्य के व्यापार घाटे को किस प्रकार कम करने का विचार है, और

(च) क्या जिले में विद्यमान सूखे की स्थिति से औद्योगिक विकास दर लगातार नीचे गिर रही है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला देहेरेश्वर सवनूर) : (क) से (च) किसी राज्य/ जिले में उद्योग और व्यापार को विकसित करना प्राथमिक तौर पर संबधित राज्य सरकार का दायित्व है, केन्द्रीय सरकार संसाधनों के